संख्या-473/78-1-2026- 1936531

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. समस्त उद्योग संघ, उ0प्र0।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 28 अप्रैल, 2026

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 के अन्तर्गत इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1186/78-1-2025-78-01099/223/2025 दिनांक 04 सितम्बर 2025 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 (UP ECMP-2025)" अधिसूचित की गई है। "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025" दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 06 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

2 - "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025" के अन्तर्गत इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा-निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः-

1. प्रस्तावना

1.1 इस शासनादेश को आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1186/78- 1-2025-78-01099/223/2025 दिनांक 04 सितम्बर 2025 द्वारा अधिसूचित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025" के अधीन प्रोत्साहन के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के रूप में सन्दर्भित किया जायेगा।

1.2 यह शासनादेश नीति के अन्तर्गत अध्याय-5 में प्रदत्त प्रोत्साहन लाभों के क्रियान्वयन हेतु 06 (छह) वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेगा।

2. परिभाषाएं

2.1 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 के अन्तर्गत उल्लिखित पात्रता तथा परिभाषाएं, नीति के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहनों हेतु प्राप्त आवेदनों को संसाधित

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

करने के लिए पात्रता तथा परिभाषाएं निम्न प्रकार हैः:-

2.2 प्रभावी तिथि का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि से यह नीति प्रभावी हुई है, अर्थात् (01 अप्रैल 2025)

2.3 प्रभावी अवधि का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से आरम्भ होकर उस अवधि (06 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक राज्य सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।

2.4 पात्र औद्योगिक उपक्रम का अभिप्राय किसी कम्पनी, साझेदारी फर्म के रूप में गठित इकाई के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम (संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक, उपक्रम को छोड़कर, जिसमें सरकार अथवा सरकारी उपक्रम की शेयर पूंजी 50 प्रतिशत अथवा अधिक हो), एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी समिति, स्वामित्व वाली संस्था से है, जो विनिर्माण, उत्पादन के कार्य में संलग्न हो तथा नवीन अथवा विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित हो। यहाँ ''विनिर्माण'' का अभिप्राय कच्चे माल अथवा इनपुट के किसी भी विधि से है जिसके परिणामस्वरूप एक पृथक नाम, प्रकृति एवं उपयोग वाले नवीन उत्पाद का उद्भव होता है।

2 . 5 **आवेदक/कम्पनी**: इस नीति के प्रयोजन हेतु आवेदक को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 के अन्तर्गत एक परियोजना स्थापित करने हेतु भारत में पंजीकृत एक विधिक इकाई होना चाहिए। इस प्रस्ताव को ''निवेश मित्र'' पोर्टल के माध्यम से नीति के अन्तर्गत नामित नोडल संस्था (यूपीएलसी) को प्रस्तुत किया गया हो।

2.6 **विस्तारीकरण** का अभिप्राय एक ऐसे वर्तमान औद्योगिक उपक्रम से है जो नवीन पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करता है।

2.7 **विविधीकरण** का अभिप्राय एक ऐसे वर्तमान औद्योगिक उपक्रम से है, जो वर्तमान उत्पाद से पूर्णरूपेण पृथक प्रकृति के उत्पाद (तथा किसी विद्यमान उत्पाद का दूसरा स्वरूप नहीं हो) का विनिर्माण करता है। इसके अतिरिक्त विविधीकरण के अन्तर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र होने के लिए औद्योगिक उपक्रम को अपने सकल ब्लॉक मे न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।

2.8 **अनुमोदित परियोजना**: का अभिप्राय है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई परियोजना।

2.9 **स्थिर पूंजी निवेश**: का अर्थ है, निवेश की पात्र अवधि के दौरान भवन, संयंत्र और मशीनरी, यूटीलिटीज, औजार और उपकरणों तथा अन्तिम उत्पाद (end Product) के विनिर्माण हेतु आवश्यक ऐसी ही किसी भी अन्य परिसम्पति में किया गया निवेश। स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के अन्तर्गत भवन, संयंत्र एवं उपकरण/मशीनरी जैसे पूंजीगत निवेश एवं परिसम्पतियों सम्मिलित हैं। स्थिर पूंजी निवेश के आगणन हेतु निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगाः-

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(i) स्थिर पूंजी निवेश के आगणन हेतु भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया जायेगा।

(ii) भारत सरकार की इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण योजना-2025 के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं से इतर अन्य परियोजनों के पूंजी निवेश की गणना के उद्देश्य से भूमि व भवन पर किये गये निवेश लागत को बिना सम्मिलित किये इकाई द्वारा की जा रही पात्र स्थिर पूंजी निवेश की राशि के 30 प्रतिशत की सीमा अथवा रूपये 50 करोड़ तक में, जो भी कम हो (कारखाना भवन/निर्माण सहित) पर किया गया व्यय के रूप में पात्र पूंजी निवेश के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

2.10 **अपात्र पूंजी निवेश**-कार्यशील पूंजी; साख, रॉयल्टी, प्रारम्भिक एवं संचालन पूर्व व्यय, ब्याज का पूंजीकरण, कैप्टिव उपयोग को छोड़कर बिजली उत्पादन, तकनीकी-ज्ञानशुल्क/परामर्शी-शुल्क, पुराने संयंत्र एवं मशीनरी, लाइसेन्स, अमूर्त परिसंपत्ति (Intangible Assets), को छोड़कर, जैसा कि इस नीति में पारिभाषित पूंजी निवेश के संयंत्र और मशीनरी मद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, को अपात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। पूंजी निवेश की गणना के लिए ऐसे मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.11 **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि** का अर्थ है वह तिथि जब अनुमोदित परियोजना में कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया जाता है।

2.12 **वित्तीय व्यवस्था** (Financial Closure): वित्तीय व्यवस्था का अर्थ है:-

(अ) प्रस्तावित निवेश के ऋण अंश के लिए पुष्ट, ऋण-अनुबन्ध तथा

(ब) ईक्विटी के लिए धन जुटाने हेतु ईक्विटी प्रदाताओं की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया, कानूनी रूप से बाध्यकारी वचन-पत्र अथवा

(स) विद्यमान इकाई की स्थिति में, फण्डिंग हेतु आन्तरिक रूप से धन जुटाने की प्रतिबद्धता हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी वचन-पत्र

(द) विदेशी निवेशकों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा प्रदान किया अनुमोदन-पत्र

2.13 **प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण शुल्क** को परियोजना लागत में इस प्रतिबन्ध सहित सम्मिलित किया जायेगा कि निवेशक द्वारा प्रौद्योगिकी का क्रय किया गया हो। यदि प्रौद्योगिकी साझेदार/सह-प्रवर्तक द्वारा प्रदान की जाती है तो इसे परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2.14 **प्रत्यक्ष कर्मचारी**: का अर्थ है कम्पनी के पे-रोल पर काम करने वाले सभी कर्मचारी/ श्रमिक

2.15 **अप्रत्यक्ष कर्मचारी**: का अभिप्राय है पूरक इकाइयों/सहायक ईकोसिस्टम सहित, कम्पनी के लिए संविदा के आधार पर, अथवा तृतीय पक्ष के पे-रोल पर काम करने वाले सभी कर्मचारी/ श्रमिक

2.16 **वित्तीय वर्ष**: का अभिप्राय है कि वित्तीय वर्ष, कैलेण्डर वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

होता है तथा अगले वर्ष 31 मार्च मार्च को समाप्त होता है।

2.17 **नोडल संस्थाः** का अर्थ है यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। नोडल संस्था का पता प्रथम तल, नवचेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 है।

2.18 **परियोजना स्वीकृति तिथिः** का अभिप्राय है वह तिथि जब नोडल संस्था द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) जारी किया गया हो।

2.19 **प्रोत्साहन की अवधिः** का अर्थ है कि वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से आवेदक को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन की अवधि।

2.20 **नीति अवधि तथा प्रयोज्यताः** उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 छह (6) वर्षों के लिए वैध है। यह नीति पूरे राज्य को आच्छादित करती है तथा दिनांक 01 अप्रैल 2025 से वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश राज्य में इकाई द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय निवेश इस नीति के तहतनिवेश का दावा करने के लिए पात्र होंगे।

योजना से लाभान्वित होने वाली संस्थाओं को सम्पूर्ण परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन की आरम्भ तिथि से कम से कम तीन वर्षों तक अपने वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा और उन्हें इस आशय का एक औपचारिक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.21 **लेटर ऑफ कम्फर्टः** लेटर ऑफ कम्फर्ट (LOC) का अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक की परियोजना पर स्वीकृति के उपरान्त नोडल संस्था द्वारा जारी किया गया आदेश-पत्रक। लेटर ऑफ कम्फर्ट में स्थिर पूंजी निवेश (FCI), भूमि, रोजगार तथा परियोजना के अन्य विवरण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहनों के साथ-साथ आवश्यक नियम तथा शर्तों का उल्लेख सम्मिलित होगा।

2.22 **परियोजना को लेटर ऑफ कम्फर्ट और प्रोत्साहन संवितरण हेतु सक्षम प्राधिकारः**

2.22.1 इस नीति में इकाइयों के प्रस्ताव के आधार पर पात्र इकाई को लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत करने के लिए पूर्व से विद्यमान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति - 2020 (प्रथम संशोधन) के अधीन गठित नीति क्रियान्वन इकाई की संस्तुति पर रूपये 200 करोड़ तक के निवेश की परियोजनाओं पर विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त एवं रूपये 200 करोड़ से अधिक के निवेश की परियोजना को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति की संस्तुति के उपरांत मा. मंत्री परिषद् के अनुमोदन प्राप्त कर विभाग द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा।

2.22.2 **प्रोत्साहन संवितरण हेतु सक्षम प्राधिकारीः** इकाई की पात्रता के आधार पर प्रोत्साहन संवितरण हेतु भारत सरकार द्वारा नीति में बनाई गयी व्यवस्था के

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अनुरूप निम्नवत प्राधिकार होगा:

2.22.2.1 प्रोत्साहन संवितरण की वित्तीय सीमा रूपये 100 करोड़ तक के लिए पीआईयू की संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रोत्साहन वितरण स्वीकृत किया जायेगा।

2.22.2.2 रूपये 100 करोड़ से रुपये 200 करोड़ तक की सीमा के प्रोत्साहन का संवितरण मुख्य सचिव की समिति की संस्तुति के क्रम में विभाग द्वारा विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन प्राप्त किये जायेंगे।

2.22.2.3 रुपये 200 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन संवितरण राशि अन्तर्निहित वाली परियोजनाएं अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी के अधीन होंगी।

2.22.2.4 नीति में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में इस नीति के अधीन प्रोत्साहन संवितरण विषयक वित्तीय मंजूरी/धनराशि अवमुक्ति प्रमुख सचिव आई टी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा निर्गत की जाएगी।

2.23 **इकाई/परियोजना**: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 के अन्तर्गत एक इकाई अथवा एक परियोजना का अभिप्राय है राज्य में स्थापित की जा रही एक नई इकाई/क्षमता विस्तार/विविधीकरण।

2.24 **पूंजीगत उपादान**: इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण परियोजनाओं द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता।

2.25 **स्टाम्प ड्यूटी**: विधिक दस्तावेजों पर, विशेषकर भूमि के क्रय या पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेजों पर लगाया जाने वाला कर।

2.26 **विद्युत शुल्क**: विद्युत के उपयोग पर एक प्रकार का कर।

2.27 **बैंक/वित्तीय संस्थान**: समस्त अधिसूचित बैंक इसके अन्तर्गत आच्छादित होंगे। सभी वित्तीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है, इसके अन्तर्गत आयेंगे।

2.28 **राज्य अभिकरण**

(i) विकास प्राधिकरण
(ii) आवास परिषद
(iii) उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम
(iv) सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

2.29 अन्य परिभाषाएं: इस योजना के क्रियान्वयन में परिभाषाओं के बिन्दु पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ईसीएमएस योजना के अन्तर्गत जो परिभाषा वर्णित की गई है, उन्हें यथावत् ग्राह्य किया जाएगा, जब तक कि उपरोक्त विषय में इस नीति अथवा नीति के क्रियान्वयन से सम्बन्धित दिशानिर्देश के विषय में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से प्रावधान अथवा परिभाषाएं निर्गत नहीं हैं। ऐसी दशा में जब कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत परिभाषा अथवा प्रावधान केन्द्र सरकार के ईसीएमस द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के विपरीत (Conflict) होगा तो प्रकरण को सशक्त समिति के संज्ञान में लाते हुए स्थिति को स्पष्ट कराया जायेगा। परिभाषाओं एवं नीति के क्रियान्वयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी निवेशक/कम्पनी के इस नीति के विषय में वित्तीय लेखा जोखा सम्बन्धी आंकड़ों को राज्य के परिप्रेक्ष्य में उक्त निवेशक/कम्पनी द्वारा राज्य में उक्त विषयक किए गए निवेश, बिक्री, टर्नओवर आदि सम्बन्धित बिन्दुओं को ही प्रोत्साहन हेतु संज्ञान में लिया जाएगा। उदाहरणार्थ यदि किसी कम्पनी "ए" द्वारा राज्य में अवस्थित प्लान्ट "क' और राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में अवस्थित प्लान्ट "ख" को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए केन्द्रीय ईसीएमएस योजनान्तर्गत पात्रता पूर्ण कर टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन केन्द्र से प्राप्त किया गया है तो इस उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 के अधीन उसके समानुपातिक प्रोत्साहन अनुमन्य किए जाने में महज राज्य के अन्दर अवस्थित प्लान्ट "क" से सम्बन्धित निवेश और बिक्री टर्नओवर को संज्ञान में लिया जायेगा और तद्नुसार प्रोत्साहन निर्धारण किया जायेगा।

2.30 <u>"संबंधित पक्ष लेनदेन"</u>: संबंधित पक्ष लेनदेन का अभिप्राय आवेदक इकाई और संबंधित पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से संबंधित कोई भी लेनदेन होगा, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत या लागू लेखांकन मानक (Ind AS 24, AS 18) के तहत परिभाषित किया गया है।

3. <u>नीति के अंतर्गत इकाई के योग्यता/पात्रता मानदंड</u>

इस नीति के अंतर्गत आवेदनों के लिए किसी इकाई हेतु सामान्य पात्रता/योग्यता मानदंड निम्नवत होंगे:

3.1 लक्षित घटक श्रेणी के उत्पाद (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), (GoI) द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-08042025- 262341 दिनांक 08 अप्रैल 2025 के अनुसार) के विनिर्माण के लिए ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड निवेश के लिए आवेदन करने वाली इकाई पात्र होगी। पात्रता हेतु एक विनिर्माण इकाई होगी, जिसे आवेदक योजना के तहत लक्षित घटक के उत्पाद (वस्तु) के विनिर्माण के लिए स्थापित करना चाहता है। यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना हो सकती है, यानी एक नई व्यावसायिक इकाई या ब्राउनफील्ड परियोजना, यानी क्षमता का

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

विस्तार/आधुनिकीकरण और/या मौजूदा इकाई का विविधीकरण। इकाई उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित होनी चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ईसीएमएस योजना में प्रभावी किए जा रहे संशोधनों के अनुसार उपरोक्त उत्पाद की श्रेणी में नवीन संशोधन अनुमन्य किये जायेंगे।

3.2 आवेदक प्रत्येक लक्षित खंड श्रेणी के उत्पाद के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करेगा।

3.3 योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु, पूँजी निवेश एवं कारोबार से संबंधित सभी आँकड़े केवल आवेदक की उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित विनिर्माण इकाई के लिए लक्षित घटक वस्तुओं के विषय में विनिर्माण हेतु अर्हता के लिए पात्र माने जाएँगे।

3.4 आवेदक केवल एक लक्षित घटक उत्पाद के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत आवेदन में संशोधन के मामले में, आवेदक को प्रस्तुत आवेदन को वापस लेना होगा और एक नए आवेदन को पुनः प्रस्तुत करना होगा।

3.5 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), (GoI) द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-08042025- 262341 दिनांक 08 अप्रैल 2025 के तहत अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के अन्तर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र मानते हुए चयनित कर मंत्रालय से उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाई को उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन किये गए निवेश के अंतर्गत किसी भी देय प्रोत्साहन हेतु पात्रता की अर्हता उसी दशा में प्राप्त होगी जबकि उपरोक्त इकाई द्वारा सम्बंधित उत्पाद विषयक पूंजीगत निवेश और बिक्री (टर्नओवर) राज्य में अवस्थित इकाई द्वारा सुनिश्चित किया गया हो।

3.6 योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चिन्हित घटक के विनिर्माण में राज्य और राष्ट्र के आत्म निर्भरता को प्रोत्साहित करना है अतः योजना अंतर्गत लक्षित घटक श्रेणी के उत्पाद (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), (GoI) द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-08042025- 262341 दिनांक 08 अप्रैल 2025 के अनुसार) के विनिर्माण हेतु राज्य में निवेश करने वाली प्रत्येक इकाई पूंजीगत प्रोत्साहन हेतु इस नीति में पात्र होंगी, भले ही उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), (GoI) द्वारा अधिसूचित Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS) में निर्धारित पात्रता विषयक टर्नओवर, निवेश करने की न्यूनतम सीमा की अर्हता पूरी न की जा रही हो अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस नीति के अधीन चिन्हित घटकों (Target segment of identified Electronic Components)के विनिर्माण सम्बन्धी पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों को पूंजी उपादान हेतु पात्र माना जाएगा बशर्ते उनके द्वारा पूंजीगत निवेश के पश्चात उक्त चिन्हित घटक के वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य आरम्भ कर दिया गया हो। किसी एक इकाई को एक ही श्रेणी में प्रोत्साहन अनुमन्य होगा अर्थात जिन इकाइयों को केंद्रीय योजना ECMS के

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अधीन प्रोत्साहन अनुमन्य होगा वो इकाइयाँ तदनुसार केंद्रीय योजना ECMS के अनुरूप राज्य की इस योजना में टॉप अप के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन की पात्र होंगी। और जिन इकाइयों को केंद्रीय योजना में कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा वो इस योजना अंतर्गत वर्णित प्राविधान के अनुसार पात्रता के आधार पर पूंजी उपादान हेतु अर्हता रखेंगी।

3.7 उपरोक्त योजना केन्द्र सरकार द्वारा लागू Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS) योजना के समयावधि तक प्रभावी रहेगी। वर्तमान में योजना की समयावधि के विषय में यह प्राविधानित है कि कुल समयावधि 06 वर्ष की होगी, जिसमें 01 (एक) वर्ष की परिपक्वता अवधि का भी प्राविधान है।

3.8 निवेश करने वाली योजना अंतर्गत चिन्हित पात्र इकाई के द्वारा योजना की क्रियान्वन अवधि में व्यावसायिक क्रियाकलाप किये जाने के विषय में उक्त इकाई के प्रबंधन /स्वामित्व के परिवर्तन की दशा में इकाई की पात्रता और योजना अंतर्गत प्रोत्साहन/ लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु केन्द्रीय योजना Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS) के द्वारा निर्धारित किये गये प्राविधान, मार्गदर्शिका तथा इस विषय में राज्य सरकार द्वारा इस योजना (UP ECMP) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप इकाई को पात्रता/ प्रोत्साहन निर्धारण सुनिश्चित किया जायेगा।

3.9 **सम्बन्धित पक्ष लेन-देन से सम्बन्धित व्यवस्थाः**

सभी आरपीटी-लिंक्ड निवेश में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्बन्धित पक्ष लेन-देन (रिलेटेड पार्टी) हेतु निर्गत शासनादेश संख्या:236/78-01/2026 दिनांक 18 फरवरी 2026 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. स्वीकार्य प्रोत्साहन-लाभ

इस नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त हैं। तथापि भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन सहित, किसी इकाई द्वारा समस्त स्रोतों से दावा किया गया प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा न कहा गया हो, पात्र परियोजना लागत के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मशीनरी/संयंत्र के क्रय से सम्बन्धित इन्वॉयसेज का, इन्वॉयस की तिथि अथवा परियोजना के व्यवसायीकरण की तिथि, जो भी पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के अन्दर किए गए भुगतान को ही पात्र माना जाएगा।

5. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 (UP ECMP 2025) के अधीन प्रोत्साहन

5.1 **<u>टॉप अप और अतिरिक्त प्रोत्साहन :</u>**

<u>ECMS के अधीन पात्र इकाइयों को टॉप अप एवं अतिरिक्त प्रोत्साहन</u> : उत्तर प्रदेश में अवस्थित इकाइयाँ राज्य में किये गए निवेश और बिक्री /टर्नओवर के लेखे के आधार पर इस अतिरिक्त टॉप अप प्रोत्साहन की पात्र होंगी। इस प्राविधान के अधीन जिन निवेशको

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

को MeitY के द्वारा लागू इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS को राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-08042025- 262341 दिनांक 08 अप्रैल 2025 के माध्यम से अधिसूचित) में केंद्रीय योजना में प्रोत्साहन लाभ प्राप्त होगा उनके विषय में तदनुसार <u>राज्य सरकार से भी ECMS योजना के बराबर और समतुल्य प्रोत्साहन अनुमन्य होगा।</u> यह अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रत्येक घटक श्रेणी के उत्पाद के लिए केन्द्रीय योजना में अनुमन्य प्रोत्साहन के समतुल्य और समान होगा परन्तु किसी भी दशा में किसी इकाई को मिलने वाला कुल प्रोत्साहन (केन्द्रीय और राज्य द्वारा दिए जाने वाले दोनों प्रोत्साहन को जोड़ कर) इकाई द्वारा किये गए पात्र पूंजी निवेश की शत प्रतिशत सीमा तक ही सीमित होगा और उसके ऊपर अनुमन्य नहीं होगा।

5.2 <u>पूंजी उपादान(इकाई जो MeitY के ECMS के साथ टॉप अप में आच्छादित नहीं हैं):-</u> इस प्रोत्साहन के लिए वो इकाई पात्र नहीं होगी जिसे MeitY की ECMS योजना के अधीन प्रोत्साहन अनुमन्य होने के साथ राज्य द्वारा टॉप अप प्रोत्साहन अनुमन्य किया जायेगा। अतः ऐसी इकाइयाँ जो कि इलेक्ट्रोनिक घटक के विनिर्माण हेतु राज्य में निवेश के लिए इच्छुक हैं परन्तु किसी कारण MeitY के द्वारा अधिसूचित ECMS योजना का लाभ पाने से वंचित रहती हैं उन्हें उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 (UP ECMP 2025) के अंतर्गत इस नीति में वर्णित प्राविधान के अनुरूप किये गए पात्र पूंजीगत निवेश पर 20% प्रोत्साहन पूंजीगत उपादान के रूप में अनुमन्य होगा। यह पूंजीगत उपादान इकाई द्वारा सृजित किये गए रोजगार से भी लिंक्ड होगा और इकाई को अनुमन्य कुल पूंजीगत उपादान की धनराशि का 20% नीति के अन्तर्गत निर्धारित घटक के अनुरूप रोजगार सीमा को पूरा करने पर वितरित किया जाएगा। यानी ऐसे मामलों में जहां कोई आवेदक निवेश के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की सीमा को पूरा करता है, लेकिन वर्णित रोजगार सीमा को पूरा करने में असमर्थ है, उक्त इकाई को कुल पूंजीगत उपादान वितरण की धनराशि से 20% घटाकर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

6. <u>राज्य में घरेलू सोर्सिंग/विनिर्माण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन</u>:

6.1 लिथियम-आयन सेल (डिजिटल अनुप्रयोग हेतु-स्टोरेज एवं मोबिलिटी को छोड़कर): निर्दिष्ट प्रोत्साहन के अतिरिक्त, कैथोड एक्टिव मटेरियल (CAM) के घरेलू सोर्सिंग/निर्माण (राज्य में) पर 2% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते अन्य पात्रता मानदंड पूरे किए गए हों।

6.2 मल्टी-लेयर पीसीबी: निर्दिष्ट प्रोत्साहन के अतिरिक्त, मल्टी-लेयर पीसीबी विनिर्माण हेतु लैमिनेट के घरेलू सोर्सिंग / निर्माण (राज्य में) पर 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते अन्य पात्रता मानदंड पूरे किए गए हों।

6.3 यदि उक्त अतिरिक्त प्रोत्साहन (6.1 एवं 6.2) के लिए इकाई केंद्रीय नीति के

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अंतर्गत पात्र होती है, परन्तु घरेलू/सोर्सिंग विनिर्माण सम्बन्धी पात्रता के पूर्ण करने के स्रोत उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में होने की स्थिति है तो इकाई इस अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए अनुमन्य राशि के (यथा 2%; 1%) महज पचास प्रतिशत (50%)तक ही राज्य से प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

6.4 आंशिक घरेलू सोर्सिंग/निर्माण की स्थिति में:

यदि CAM/लैमिनेट का आंशिक ही घरेलू सोर्सिंग/निर्माण किया गया हो, तो अतिरिक्त प्रोत्साहन आनुपातिक (Prorata) आधार पर दिया जाएगा।

7. अन्य प्रोत्साहन:

वर्णित टॉप अप अतिरिक्त प्रोत्साहन व पूंजी उपादान प्रोत्साहन के प्राविधान के साथ ही अतिरिक्त रूप से इस नीति में पात्र इकाई को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अधीन अनुमन्य (आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या:1922/78-1-2023-05आईटी/2020 दिनांक 07 दिसम्बर 2023 द्वारा यथा प्राविधानित) अन्य प्रोत्साहन भी अनुमन्य होंगे जो निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र से संबंधित हैं:

- स्टाम्प ड्यूटी लाभ
- विकास प्राधिकरणों/राज्य एजेंसियों द्वारा आवंटित भूमि पर 25% सब्सिडी, (बुन्देलखंड एवं पूर्वांचल में 50% तक)
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट
- ब्याज सब्सिडी
- पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति
- कौशल विकास एवं अन्य सहायता
- ईपीएफ प्रतिपूर्ति
- पट्टा किराया
- लॉजिस्टिक्स सब्सिडी
- अनुसंधान एवं विकास सहायता

8. पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी (Eligible CAPEX for Capital Subsidy) में भवन एवं भूमि का मूल्य हेतु अनुमन्यता :

यद्यपि पात्र पूंजी निवेश की गणना में अधिसूचित केंद्रीय योजना ECMS में भूमि और भवन के निर्माण कार्य में किसी व्यय को स्थिर पूंजी निवेश हेतु पात्र नहीं माना गया है, तथापि ऐसे निवेशक जो केंद्रीय योजना (ECMS) में आच्छादित होने से वंचित रहते हैं और राज्य द्वारा तदनुसार टॉप अप प्रोत्साहन के प्रविधान से आच्छादित नहीं होते परन्तु इस नीति के अधीन चिन्हित घटकों के विनिर्माण हेतु राज्य में निवेश करने के इच्छुक हैं, उन्हें नीति के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन के दृष्टिगत राज्य द्वारा दिए जाने वाले पूंजी

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

उपादान की गणना में पात्र स्थिर पूंजीगत निवेश की पात्रता के लिए भूमि व भवन की लागत को निम्नानुसार सीमा तक अनुमन्य किया जायेगा :- **भूमि व भवन की पर किये गए निवेश लागत को बिना सम्मिलित किये इकाई द्वारा की जा रही पात्र स्थिर पूंजी निवेश की राशि के 30% की सीमा अथवा रूपये 50 करोड़ तक में जो भी कम हो को आवश्यक भूमि और भवन (कारखाना भवन/निर्माण सहित) पर किया गया व्यय के रूप में पात्र पूंजी निवेश के रूप में शामिल किया जाएगा।** इस मद में अनुमन्यता हेतु किसी पूर्व से विद्यमान भूमि अथवा भवन में किये गए किसी प्रकार के निर्माण कार्य को दावा में नहीं शामिल किया जायेगा और इस लाभ हेतु इकाई द्वारा इस नीति के आरम्भ तिथि के बाद किसी भूमि के क्रय अथवा किये गए नवीन भवन निर्माण के व्यय के ब्यौरा को शामिल किये जाने पर पात्रता के आधार पर परीक्षणोंपरांत अनुमन्य किया जायेगा। इस प्रस्तर के अधीन अनुमन्य पूंजी उपादान विषयक प्रोत्साहन में पात्र स्थिर पूंजी निवेश के अधीन अन्य मदों के विषय हेतु पूर्व से विद्यमान उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2020(यथा संशोधित) के प्राविधान के अनुरूप अनुमन्य पूंजी निवेश के प्राविधान लागू होंगे।

पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रस्तर के अधीन यह अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राविधान उन इकाइयों को अनुमन्य नहीं होगा जिन्हें केंद्रीय योजना (ECMS) अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त होगा। केंद्रीय ECMS योजना के अंतर्गत चिन्हित किसी श्रेणी घटक में MEITY द्वारा पूंजी उपादान जिस प्रकार अनुमन्य होगा, राज्य की ऐसी इकाइयों को केंद्रीय योजना में अनुमन्य किये गए पूंजी उपादान के समतुल्य ही उपादान राज्य द्वारा अनुमन्य होगा और इस प्रस्तर का प्राविधान उनके लिए किसी अतिरिक्त उपादान की पात्रता की अर्हता नहीं प्रदान करेगा।

9. **प्रोत्साहन संवितरण समय-सीमा**:

9. 1 **<u>केंद्रीय योजना के अधीन प्रोत्साहित इकाइयों को टॉप अप</u>**: ऐसी इकाइयाँ जो MeitY की ECMS योजना के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करेंगी वो इस योजना के अधीन उसी प्रकार के प्रोत्साहन को केंद्रीय प्रोत्साहन के समतुल्य प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इस हेतु सम्बन्धित इकाई को MeitY में आवेदन के साथ-साथ राज्य में भी आवेदन करना होगा। अग्रेतर MeitY द्वारा प्रोत्साहन स्वीकृति वितरण प्राप्त होने के अधिकतम तीन माह में उक्त विवरण के साथ इकाई द्वारा राज्य को अवगत कराते हुए निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार आवेदन करना होगा। रूपये 50 करोड़ की सीमा तक प्रोत्साहन एक किश्त में राज्य द्वारा वितरित किया जायेगा। यदि प्रोत्साहन धनराशि रूपये 50 करोड़ से अधिक होगी तो तदनुसार वार्षिक किश्त रुपये 50 करोड़ की निर्धारित करते हुए प्रोत्साहन अनुमन्य होगा। उक्त निर्धारण किये जाने में किसी एक वर्ष की प्रोत्साहन राशि के आगामी वर्ष में इकाई को प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन से लिंक्ड नहीं रहेगा और वर्षानुवर्ष प्रोत्साहन की राशि के विषय में किश्त पृथक-पृथक निर्धारण किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

9.2 इकाई जो MeitY के ECMS के साथ टॉप अप में आच्छादित नहीं हैं:- ऐसी इकाइयों को पूंजी उपादान मद में संवितरण निम्नवत होगा: पात्र CAPEX (राज्य में किये गए पात्र पूंजीगत निवेश) का 60% पहली किस्त में वितरित किया जाएगा और शेष 40% किस्त आगामी वर्षों में वितरित किया जाएगा। पहले वर्ष की किस्त की अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये या CAPEX प्रोत्साहन का 60% जो भी कम हो, होगी। इकाई के CAPEX प्रोत्साहन के वितरण के पहले वर्ष के बाद शेष राशि अगले वर्षों में वितरित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक किस्त अधिकतम 25 करोड़ रुपये तक होगी। CAPEX प्रोत्साहन पात्रता 150 करोड़ रुपये से अधिक होने की स्थिति में, पहली किस्त 50 करोड़ रुपये की होगी और उसके बाद की किस्तें 4 बराबर किस्तों में होंगी, ताकि पाँच वार्षिक किस्तों में संपूर्ण CAPEX प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सके।

9.3 किसी इकाई को समस्त श्रोतो से प्राप्त सभी प्रोत्साहनों का कुल योग, योजना अवधि में आवेदक द्वारा किए गए वास्तविक पात्र पूँजी निवेश के 100% तक सीमित होगा।

10. केस टू केस प्रोत्साहन:

किसी इकाई द्वारा बड़े निवेश परियोजनाओं (योजना अवधि में रूपये 2000 करोड़ से अधिक निवेश) के लिए, सशक्त समिति (Empowered Committee) मा. मंत्रिपरिषद को निम्न सिफारिश कर सकती है:

- इस नीति के तहत निर्धारित किसी भी मानदंड में छूट, या
- किसी भी प्रोत्साहन की प्रस्तावित सीमा में वृद्धि।

ऐसे निवेशकों (रूपये 2,000 करोड़ से अधिक) के मामले में इस नीति में अनुमन्य प्रोत्साहन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य प्रोत्साहन दिए जाने के लिए सशक्त समिति के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मा. मंत्री परिषद् द्वारा केस टू केस आधार पर प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण किया जा सकेगा। इस विषय में यह ध्यान रखा जायेगा कि केस टू केस आधार पर किसी इकाई को प्रोत्साहन अनुमन्य करने में प्रस्तावित कस्टमाइज पैकेज में अनुमन्य समस्त स्रोतों से प्राप्त सभी प्रोत्साहन में अन्तर्निहित कुल वित्तीय उपाशय किसी भी दशा में इकाई द्वारा किये गए कुल पात्र स्थिर पूंजी निवेश की शत-प्रतिशत सीमा में ही अनुमन्य होगा अर्थात किसी भी इकाई को इस नीति के अधीन किसी भी केस टू केस प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा उक्त इकाई द्वारा किये गए पात्र स्थिर पूंजी निवेश की शत प्रतिशत सीमा तक ही अनुमन्य हो सकेगी।

11. प्रोत्साहन अवधि:

11.1 इस नीति की कुल अवधि 6 वर्ष है। दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश राज्य में इकाई द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय निवेश इस नीति के तहत निवेश का दावा करने के लिए पात्र होंगे।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

11.2 जिन इकाइयों द्वारा MeitY के ECMS और UP ECMP दोनों का लाभ प्रदत्त होना है उन्हें इस विषय में भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वीकृति की तिथि के बाद राज्य के प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे|

11.3 इस योजना के अंतर्गत पात्रता किसी अन्य योजना के अंतर्गत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किए गए निवेश/बिक्री इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक को इस संबंध में एक प्रबंधन वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

12. **प्रोत्साहन हेतु लक्षित खंड श्रेणी -विशिष्ट पात्रता मानदंड**

12.1 डिस्प्ले मॉड्यूल उप-असेंबली (Display Module Sub-assembly):

- आवेदक को योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु **फिल्म ऑन ग्लास (FOG) एवं चिप ऑन ग्लास (COG)** प्रक्रियाएँ (जहाँ लागू हों) सहित **संपूर्ण उप-असेंबली प्रक्रिया** उत्तर प्रदेश में करनी होगी।
- **अर्ध-असेंबल्ड उत्पाद** (Semi-assembled Product) से की गई अंतिम असेंबली **पर** प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

12.2 कैमरा मॉड्यूल उप-असेंबली (Camera Module Sub-assembly):

- आवेदक को **सब्सट्रेट पर घटकों की सरफेस माउंटिंग, फ्रंट** ऑन लाइन (FOL) **प्रक्रिया** एवं एंड ऑफ लाइन (EOL) **प्रक्रिया** (जहाँ लागू हों) सहित **संपूर्ण** उप-**असेंबली** उत्तर प्रदेश में करनी होगी।
- अर्ध-**असेंबल्ड** उत्पाद से की गई अंतिम असेंबली पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

12.3 मल्टी-लेयर पीसीबी (Multi-layer PCB):

- **आवेदक को दूसरे वर्ष से प्रतिवर्ष** निम्न में से कम से कम एक भाग/**घटक** का स्थानीयकरण करना होगा:
- कोई भी **प्रोसेस केमिस्ट्री मटेरियल,**
- कोई भी **फिनिश्ड केमिस्ट्री मटेरियल,**
- **सोल्डर मास्क इंक,**
- **टिन बॉल्स एवं सोल्डर।**
- **प्रोसेस केमिस्ट्री मटेरियल** एवं **फिनिश्ड केमिस्ट्री मटेरियल** का स्थानीयकरण **योजना** अवधि में **केवल एक वर्ष** के लिए ही मान्य होगा।

12.4 डिजिटल अनुप्रयोगों हेतु लिथियम-आयन सेल (Li-ion Cells for Digital Applications - Storage & Mobility को छोड़कर):

- **प्रोत्साहन** हेतु आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- **निर्मित Li-ion सेल** का उपयोग डिजिटल **अनुप्रयोगों** (स्टोरेज एवं मोबिलिटी को **छोड़कर)**

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

के लिए होना चाहिए।

- सेल की क्षमता 10,000 mAh से अधिक नहीं होनी चाहिए (प्रिज्मैटिक, पाउच या सिलिंड्रिकल किसी भी प्रकार का हो सकता है)।
- **दूसरे वर्ष से प्रतिवर्ष** निम्न में से कम से कम एक घटक का स्थानीयकरण करना होगा:
    - इलेक्ट्रोलाइट,
    - एनोड इलेक्ट्रोड,
    - कैथोड इलेक्ट्रोड।

12.5 मोबाइल, आईटी हार्डवेयर उत्पादों एवं संबंधित उपकरणों के आवरण (Enclosures):

- **आवेदक को धातु, प्लास्टिक या कांच से आवरण का निर्माण करना होगा।**

फिनिशिंग/सजावट (Finishing/Decoration) भी निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए।

13. मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्रक्रिया

13.1 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 में नामित नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी), उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी होगी।

13.2 "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025" के अन्तर्गत नोडल संस्था के कार्यों की देख-रेख के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई के रूप में पूर्व से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु आईटी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित नीति कार्यान्वयन इकाई (Project Implementation Unit) द्वारा कार्य किया जायेगा। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1288/78-1-2020-05 आईटी/2020 दिनांक 28 अगस्त 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत निम्नवत् नीति कार्यान्वयन इकाई गठित की गई है:-

1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2 अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3 अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4 अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5 अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6 अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

7	विशेष सचिव, आईटी एवं एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव

13.3 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1287/78-1-2020- 05आईटी/2020 दिनांक 28 अगस्त 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत निम्नवत् सशक्त समिति गठित की गई है:-

1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य
13	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नॉयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य
14	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य
15	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	सदस्य
16	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लीडा	सदस्य
17	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा	सदस्य

13.4 लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा प्रोत्साहनों की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रक्रिया

नीति के अन्तर्गत किसी भी प्रोत्साहन का अनुरोध करने के लिए आवेदक को निवेश मित्र

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद प्रत्येक आवेदन के लिए एक विशिष्ट आईडी जारी की जाएगी। आवेदक को निम्नलिखित अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र नोडल संस्था में प्रस्तुत करना होगा:-

लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख	वित्तीय अनुदान के वितरण हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख
1 अनुमानित निवेश का विवरण (ब्रेक-अप) - सी.ए. द्वारा प्रमाणित 2 वित्त पोषण के साधन - सी.ए. द्वारा प्रमाणित 3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) सी.ए. द्वारा प्रमाणित के अनुसार सभी मदों के विवरण सहित अनुलग्नक-1) 4 निगमन (इनकॉरपोरेशन) प्रमाण-पत्र की प्रति 5 मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रति 6 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति 7 निदेशकों के पैन कॉर्ड या आधार कार्ड की प्रति 8 बोर्ड के संकल्प की प्रति 9 स्व-घोषणा पत्र (अनुलग्नक-2) 10 (यथा आवश्यकता) अन्य अभिलेख	<u>आवेदन करने से पूर्व</u> 1 वास्तविक निवेश का विवरण, प्रथम इन्वॉयस की तिथि, तथा इकाई का फोटोग्राफ - सी.ए. द्वारा प्रमाणित 2 वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन की आरम्भ तिथि से कम से कम तीन वर्षो तक अपने वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन को बनाए रखने के लिए शपथ पत्र (अनुलग्नक-3)। 3 संयंत्र व मशीनरी का विवरण <u>आवेदन करते समय</u> 4 वास्तविक उत्पादन का विवरण - सी.ए. द्वारा प्रमाणित 5 निर्यात का विवरण - सी.ए. द्वारा प्रमाणित (यदि निवेशक निर्यातक इकाई है तो) 6 स्व-घोषणा पत्र (अनुलग्नक-4) 7 (यथा आवश्यकता) अन्य अभिलेख

13.5 निवेशक द्वारा नोडल संस्था को प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण

13.5.1 प्रोत्साहनों के लिए आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे।

13.5.2 आवेदन के साथ परियोजना से सम्बन्धित भूमि का आवंटन पत्र/विक्रय-विलेख/कम से कम 10 वर्षो की अवधि के लिए निष्पादित किराया अनुबन्ध/लीज-डीड प्रस्तुत किया जाये। अन्यथा स्थिति में नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा।

13.5.3 नोडल संस्था द्वारा नामित मूल्यॉकन एजेन्सी/पी.एम.यू. द्वारा निवेशक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं दस्तावेजों का मूल्यॉकन किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

13.5.4 मूल्यांकन रिपोर्ट आख्या प्राप्त होने के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा आवेदन की प्राथमिक जाँच की जायेगी।

13.5.5 नोडल संस्था द्वारा आवश्यक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सूचनायें/ अभिलेख माँगे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा समयबद्ध रूप से, यथासम्भव 7 दिनों के अन्दर सूचनायें प्रदान की जायेंगी।

13.6 **निवेश प्रस्ताव की स्वीकृति/अनुमोदन**

13.6.1 परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण होने के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा, अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

13.6.2 रू 200 करोड़ से कम अथवा समतुल्य निवेश की परियोजनाओं पर नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति उपरान्त विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) निर्गत किया जायेगा।

13.6.3 रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों को नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति की संस्तुति के उपरान्त मा. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा।

13.6.4 नीति कार्यान्वयन इकाई तथा/अथवा मा. मंत्रिपरिषद, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश के निर्गमन उपरान्त, स्वीकृत लाभों के सम्बन्ध में, लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) प्रासंगिक नियमों और शर्तों के उल्लेख सहित नोडल संस्था द्वारा निर्गत किया जायेगा।

13.6.5 लेटर ऑफ कम्फर्ट की प्रतियाँ जिला उद्योग केन्द्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सू0प्रौ0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन तथा अन्य हितधारकों को पृष्ठाँकित की जायेंगी।

13.6.6 लेटर ऑफ कम्फर्ट मे प्रदर्शित प्रोत्साहन राशि अनन्तिम होगी तथा निवेशक द्वारा दावा की गई प्रोत्साहन राशि के सापेक्ष सक्षम स्तर द्वारा संवितरण हेतु अनुमोदित प्रोत्साहन राशि अन्तिम होगी।

13.6.7 प्रोत्साहन के लाभ (परिमाण/अवधि) की सीमा समाप्त हो जाने अथवा नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर, लेटर ऑफ कम्फर्ट को स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

13.6.8 यदि निवेशक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है अथवा भौतिक तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त किया गया है तो लेटर ऑफ कम्फर्ट को निरस्त माना जायेगा तथा निवेशक/कम्पनी को प्रदान किये गये सभी हितलाभ राज्य कानूनों के अन्तर्गत वसूली योग्य हो जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

13.6.9 लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने के 6 माह के अन्दर कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ किया जाना चाहिए, यद्यपि असाधारण परिस्थितियों में नीति कार्यान्वयन इकाई/सशक्त समिति से और विस्तार का प्राविधान है। वर्णित अवधि के पश्चात, नोडल संस्था को लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त करने का अधिकार है।

13.7 वित्तीय प्रोत्साहन का वितरण

13.7.1 प्रोत्साहन के संवितरण हेतु आवेदक द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट के अनुसार प्रोत्साहन दावे का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।

13.7.2 निवेश की अनुमति नीति की अधिसूचना की तिथि से दी जायेगी। ऐसी इकाई जिन्हें केन्द्रीय में आच्छादन ना होकर महज राज्य द्वारा लागू इस योजना में पूंजी निवेश के आधार पर प्रोत्साहन हेतु आवेदन करना है, उनके विषय में निवेश एवं इकाई को व्यवसायिक रूप से परिचालनरत करने के लिए दिया जाने वाला समय उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (यथासंशोधित) के अनुसार होगा।

13.7.3 नोडल संस्था द्वारा संवितरण प्रारूप (सं.प्रा.) तथा आवश्यक सहायक अभिलेखों का परीक्षण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/सूचीबद्ध वैल्यूअर से कराया जायेगा।

13.7.4 स्थिर पूंजी निवेश की वास्तविक स्थिति का आगणन बैंक/वित्तीय संस्थानों अथवा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित समिति अथवा इस हेतु नियुक्त वित्तीय परामर्शी/राज्य सरकार की संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।

13.7.5 संवितरण प्रारूप, आवश्यक सहायक अभिलेखों तथा प्रमाणपत्र को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित को अग्रसारित किया जायेगा:-

(अ) प्रोत्साहन संवितरण की वित्तीय सीमा रूपये 100 करोड़ तक के लिए पीआईयू की संस्तुति के क्रम में मा० विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रोत्साहन वितरण स्वीकृत किया जायेगा।

(ब) रूपये 100 करोड़ से रुपये 200 करोड़ तक की सीमा के प्रोत्साहन का संवितरण मुख्य सचिव की समिति की संस्तुति के क्रम में विभाग द्वारा विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन प्राप्त किये जायेंगे।

(स) रुपये 200 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन संवितरण राशि अन्तर्निहित वाली परियोजनाएं अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी के अधीन होंगी।

(द) नीति में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में इस नीति के अधीन प्रोत्साहन संवितरण विषयक वित्तीय

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

मंजूरी/धनराशि अवमुक्ति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव आई टी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा निर्गत की जाएगी।

13.7.6 , रु 200 करोड़ से अधिक के प्रोत्साहन संवितरण वाले प्रकरण को मा. मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रथम संवितरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुवर्ती संवितरण सशक्त समिति के ही अनुमोदन के पश्चात किये जायेंगे। तथापि निवेशक द्वारा नई मद में प्रोत्साहन हेतु मांग की दशा में, प्रथम संवितरण हेतु प्रकरण को पुनः मा. मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुवर्ती संवितरण सशक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात किये जायेंगे।

13.7.7 निवेशक को समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से किया जायेगा।

14. आवेदनों का परीक्षण

नोडल संस्था में गठित की गई नीति प्रबन्धन इकाई (पी.एम.यू.) द्वारा आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा।

14.1 **पी.एम.यू. की संरचनाः** पी.एम.यू. में आउटसोर्स प्रोफेशनल्स/परामर्शियों एवं सरकारी अधिकारियों के साथ पर्याप्त कर्मचारी होंगे। पी.एम.यू. को व्यक्तियों या फर्मों या एजेन्सियों के रूप में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, इंजीनियरों, लागत लेखाकारों, जी.एस.टी. लेखापरीक्षकों आदि द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी।

14.2 **पी.एम.यू. की भूमिका**

(i) पी.एम.यू. द्वारा प्रत्येक आवेदन की पूर्णता एवं सुसंगतता की जांच की जाएगी तथा नामित नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रुटियों एवं विसंगतियों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।

(ii) यदि आवेदन अपूर्ण है, तो पी.एम.यू. में नोडल अधिकारी आवेदन में किसी भी विसंगति या अपूर्णता के विषय में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से आवेदक से ऑनलाइन प्रतिक्रिया मांगने के लिए पृच्छा करेगा।

(iii) इस प्रकार की जांच, नोडल संस्था द्वारा पूर्ण करके ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के 7 कार्यदिवस के भीतर पृच्छा की जायेगी। आवेदक द्वारा पृच्छा की तिथि से 7 कार्यदिवस के भीतर पृच्छा का उत्तर देना होगा। यदि नोडल संस्था को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उसके द्वारा अनुवर्ती पृच्छा भी की जा सकती है। इन अनुवर्ती पृच्छाओं के लिए, नोडल संस्था तथा आवेदक, दोनों के लिए 07 कार्यदिवस की समय-सीमा लागू है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

15. प्रोत्साहन संवितरण

15.1 भारत सरकार की इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण योजना-2025 के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं से इतर अन्य परियोजनाओं को पूंजीगत उपादान, भूमि की लागत में छूट एवं स्टाम्प शुल्क में छूट, वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर पात्र होंगे। चरणवार निवेश की दशा में प्रत्येक चरण के वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि को दृष्टिगत रखा जायेगा।

15.2 आवेदक द्वारा पात्रता मानदण्डों की पूर्ति कर लेने की शर्त सहित, प्रोत्साहन हेतु अपना दावा वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे सभी दावे सांविधिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditor) द्वारा विधिवत् सत्यापित तथा प्रबन्धक के पत्र / अण्डरटेकिंग (Management Representation Letter/Management Undertaking) द्वारा समर्थित होना अनिवार्य होगा।

15.3 अनुमोदन/अस्वीकृति/अनुशंसा के मामले में, विवरण लिखित रूप में अंकित किया जायेगा।

15.4 पूंजी उपादान के संवितरण हेतु नोडल संस्था, स्थलीय निरीक्षण अथवा अभिलेखों के परीक्षण के माध्यम से निवेशक द्वारा पूंजी निवेश (प्राप्त किया गया ऋण, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, औद्योगिक आवास, फैकल्टी प्रशिक्षण/तकनीकी कार्यशालां, जागरुकता कार्यक्रम तथा विश्वस्तरीय प्रतिभा के पारिश्रमिक) के निर्धारण हेतु जब भी आवश्यक समझे, एक अतिरिक्त समिति/व्यक्ति/एजेन्सी नियुक्त/करने के लिए स्वतंत्र है। किसी दृष्टिगत अन्तर के मामले में निवेशक को स्पष्टीकरण देने और अतिरिक्त अभिलेख/सूचना, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

15.5 भारत सरकार की इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण योजना-2025 के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं से इतर अन्य परियोजनाओं को रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों को ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति, बैंक द्वारा प्रभारित कुल ब्याज दर के सापेक्ष 5 प्रतिशत बिन्दु तक की जायेगी तथा शेष ब्याज निवेशक द्वारा वहन किया जाना होगा। उदाहरणार्थः यदि किसी निवेशक द्वारा बैंक को 12% ब्याज दिया जा रहा है तो नीति के अनुरूप निवेशक को निर्धारित सीमा तक 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा शेष 7% ब्याज निवेशक द्वारा बैंक को भुगतान किया जाना होगा।

15.6 जानबूझकर व्यतिक्रम (Default) अथवा बैंक द्वारा परिसमापन घोषित किये जाने की स्थिति में, उसके पश्चात ब्याज उपादान प्रदान नहीं किया जायेगा तथा नोडल संस्था/प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

15.7 निवेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप में पेटेन्ट्स फाइलिंग से सम्बन्धित अभिलेख नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे। नोडल संस्था द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि में आवेदन का परीक्षण किया जायेगा तथा नोडल संस्था द्वारा मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचनायें/अभिलेख आवेदक द्वारा 15 दिनों में उपलब्ध करवाई जायेंगी। यह उपादान इकाई को पेटेन्ट प्राप्त होने के पश्चात ही अनुमन्य होगा।

16. **प्रशासनिक व्यय**

निवेशक इकाई को स्वीकृत वित्तीय लाभों की राशि के 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि प्रशासनिक व्यय के रूप में नोडल संस्था यूपीएलसी को प्राप्त होगी, जिसे संवितरण की धनराशि से कटौती कर लिया जायेगा। उक्त धनराशि में नोडल संस्था द्वारा चयनित मूल्यांकनकर्ताओं एवं चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स/ मान्यताप्राप्त वैल्युअर्स/ अभियन्ताओं के माध्यम से, निवेशक द्वारा किये गये पूंजी निवेश के सत्यापन में हुए व्यय की धनराशि भी सम्मिलित है।

17. **व्यय-भार**

वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण के सम्बन्ध में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

18. **प्रोत्साहनों के निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड**

निवेशक द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि निवेशक/इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही निवेशक/ इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

भवदीय,
Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 28-04-2026
12:36:26
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन

2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0

3 अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन

4 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन

5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ

6 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन

7 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।

8 राज्य समन्वयक, सीईजी, लखनऊ।

9 गार्ड फाइल

Digitally signed by आज्ञा से,
Neha Jain
Date: 28-04-2026
14:10:04

(नेहा जैन)

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

FORMAT FOR DPR

1. Executive Summary
    1.1 Project Overview
    1.2 Objective and Scope
    1.3 Key Highlights
    1.4 Estimated Cost and Means of Finance
    1.5 Expected Benefits and Outcomes
    1.6 Implementation Timeline

2. Bank/ FI Appraisal Note/ Report, if available

3. Technology Specifications
    3.1 Technology
    3.2 Target products and applications
    3.3 ITC/ HS codes for proposed products
    3.4 Existing and Proposed Installed capacity, number of working days in a year, number of
    working hours per day
    3.5 Technology Partnerships – Details of technology partner(s) with relevant documents
    3.6 Manufacturing Process
    3.7 Product Life Cycle Stage (Prototype, Pre-series, Mass Production)

4. Proposed Location
    4.1 Complete Address of the proposed manufacturing unit(s)
    4.2 GPS location (optional)
    4.3 GST Registration (GSTN) Certificate
    4.4 Registered Sale/ Lease Deed
    4.5 No-objection certificate (NOC) from owner of land in case of sub-lease
    4.6 Title Search Report from lawyer including Non-encumbrance certificate
    4.7 Land area
    4.8 Describe the locational advantage with respect to supply of raw materials, power, water, fuel and manpower as also with respect to facilities for transportation, effluent disposal and market.

5. Project Financials
    5.1 Total project cost including working capital requirements and year-wise proposed phasing of investment
    5.2 Sources of fund
    5.2.1 Board Resolution of Project Company for investing the project cost towards setting up of the project
    5.2.2 Board Resolution/ Undertaking from equity/ unsecured loan providers
    5.2.3 Proof of equity/ unsecured loans brought in
    5.2.4 Sanction letter/ Letter of Intent (LoI) and Term Loan Agreement for Debt
    5.2.5 Documents showing capability of fund providers (not required for Banks/ FIs)
    5.2.6 Contact details of fund providers
    5.3 Projected P&L for 10 years
    5.4 Key financial indicators (IRR, ROCE, ROI, EBIDTA, Payback Period, NPV)
    5.5 Sensitivity Analysis

6. Operational Details
    6.1 Water, power and other utility requirements and arrangements for their supply
    6.2 Ramp-up timelines/ Implementation schedule
    6.3 Phased Implementation Plan if any

7. Human Resources and Implementation Plan

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

7.1 Governance Structure
7.2 Roles and Responsibilities
7.3 Implementation Strategy
7.4 Procurement and Contracting Plan
7.5 Monitoring and Evaluation Framework
7.6 Availability and Requirement of trained manpower, plan for training and skill development
7.7 Proposed employment generation

8. Building
8.1 Land and Building Layout Plan
8.2 Type of construction, Purpose and Built-Up Area of each Building
8.3 Cost of Building vis-à-vis CPWD/ State PWD rates

9. Capital Goods
9.1 Requirement of new/ refurbished capital goods
9.2 Itemized list of equipment with details of proposed suppliers and quotations/ purchase orders.
9.3 Board-approved Vendor selection process

10. Raw Material
10.1 Bill of Materials (BOM) - %BOM cost and suppliers
10.2 Details regarding sourcing of raw materials, plan for developing the raw material manufacturing ecosystem in India

11. Market Assessment of Proposed Products
11.1 Industry Overview (Global & Indian Electronics Industry)
11.2 Demand-Supply Gap Analysis
11.3 Target Market and Customer Segments
11.4 Competitor Analysis
11.5 SWOT Analysis
11.6 Key Customers
11.7 Export Details, if any

12. Roadmap for Technology Upgradation

13. Capacity Enhancement in case of expansion
13.1 Existing Installed Capacity
13.2 Proposed Capacity After Expansion
13.3 Net Capacity Enhancement
13.4 Percentage Increase in Capacity
13.5 Target Commissioning Date for Enhanced Capacity
13.6 Expected Capacity Utilization Post-Expansion

14. Plan for R&D Collaboration with Indian academic institutions

15. Environmental, Legal and Regulatory Framework
15.1 E-Waste Management & RoHS
15.2 Pollution Control Measures (if any)
15.3 Fire Safety & ESD Compliance
15.4 Risk of Hazardous Materials (if applicable)
15.5 Applicable Laws and Regulations
15.6 Statutory Approvals and Clearances Required
15.7 Project Licenses and Permits
15.8 Land Acquisition Status (if applicable)
15.8.1 Requirement of licenses, permits, clearances and third-party approvals necessary to execute the project.
15.9 Proposed timelines for obtaining such licenses, permits, clearances and third-party approval

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

16. Annexures

- 16.1 Detailed Machinery List with Specifications
- 16.2 Detailed Cost Estimates (BoQ)
- 16.3 Site photos and Technical Drawings / Layouts / Maps
- 16.4 Letters of Intent / MoUs / Agreements
- 16.5 Financial Model (Excel sheets if applicable)
- 16.6 Projected Demand Data
- 16.7 Approvals and Consents (copies)
- 16.8 Additional Supporting Documents if applicable
- 16.9 Buyback/off Take Agreements
- 16.10 Statutory Reporting:

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Declaration

(to be submitted by the applicant at the time of application)
(on the letterhead of the applicant)

The information provided while filling online form on Nivesh Mitra Portal to avail sanction of incentives under UP ECMP 2025 is completely true, and no fact has been concealed or misrepresented. It is further certified that the company has not applied for benefits under any sector-specific or other policy of the Government of Uttar Pradesh.

It is also certified that, the details of financial assistance taken from Government of India Schemes, if any as provided in the application is true and in case of any dovetailing of this scheme with Central Government policies/schemes, the Company would not claim incentives more than upper celling defined in the policy from all the schemes put together and in such a case Government of Uttar Pradesh financial assistance shall be reduced to that extent.

I/we hereby agree that I/we shall forthwith repay the benefits released to me/us under UP UP ECMP 2025, if the said benefits are found to be disbursed in excess of the amount actually admissible whatsoever the reason.

Signature of Authorised Signatory with

Name, Designation and Office Seal

Date:

Place:

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Undertaking for Continuity of Operations under UP Electronics Component Manufacturing Policy – 2025

(to be submitted by the applicant at the time of application)
(on the letterhead of the applicant)

I/We, ____________________ (Name of the Company) having registered office at ____________________ (Address), hereby undertake and agree as follows:

1. That our company has applied for/availed benefits under the *Uttar Pradesh Electronics Component Manufacturing Policy – 2025.*
2. That we commit to operate and maintain the commercial production/operations of the sanctioned unit located at ____________________ (Unit Address/Location) for a minimum period of **three (3) years** from the date of commercialization.
3. That in case the unit is closed, discontinued, or production ceases (except under circumstances beyond control such as natural calamities, force majeure, or reasons approved by the competent authority), the company shall be liable to refund the incentives/benefits availed, along with applicable interest, as per the provisions of the said Policy.
4. That this undertaking is executed in compliance with the conditions prescribed under the *UP Electronics Components Manufacturing Policy – 2025* and shall remain binding on the company, its directors, and successors.

Authorized Signatory
(Seal of the Company)
Name: ____________
Designation: ____________
Date: ____________
Place: ____________

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

FORMAT FOR UNDERTAKING

Undertaking for Compliance with Applicable Laws for Procurement of Capital Goods

(To be submitted on Company Letterhead)

Date:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

I, [Name of Authorised Signatory], [Designation - MD/CEO/COO/CFO] of **[Company Name]**, having its registered office at **[Company Address]**, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That our unit, **[Name and Address of Unit/Project]**, has applied for fiscal incentives under the Uttar Pradesh Electronics Component Manufacturing Policy 2025.
2. That we have procured capital goods including plant and machinery for the said project in accordance with the applicable statutory provisions and legal requirements.
3. That all invoices related to the procurement of such capital goods, whether sourced domestically or internationally, fully comply with the requirements of:
   - The Income Tax Act, 1961
   - The Customs Act, 1962 and relevant Customs Rules
   - The Central Excise Act, 1944 and Central Excise Rules, 2002
   - The Central Goods and Services Tax Act, 2017 and related Rules
   - The Uttar Pradesh Stamp Act, 2008
   - The Registration Act, 1908
   - Any other applicable State or Central legislation
4. That no invoice or procurement transaction submitted with the incentive claim has been made in contravention of any of the aforementioned Acts, Rules, or Regulations.
5. That all supporting documents, including purchase invoices, agreements, payment proofs, and tax receipts, have been enclosed with the incentive claim for necessary audit and verification.

I affirm that the above statement is true and correct to the best of my knowledge and belief, and no part of it is false or concealed.

Yours faithfully,

[Signature]
[Name of Authorised Signatory]
[Designation-MD/CEO/COO/CFO]
[Company Name]
Company Seal

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner